

अनुवाद प्रशिक्षण प्रतिभागियों को दिए गए प्रमाण पत्र

■ कार्यक्रम में 21 कार्मिकों को अनुवाद कार्य में प्रशिक्षित किया गया

गुड़गांव, 22 मार्च (ब्यूरो): गुरुग्राम में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों के कार्मिकों को अनुवाद कार्य में प्रशिक्षित करने के लिए ईएसआईसी उप क्षेत्रीय कार्यालय में पांच दिवसीय कार्यशाला सह अनुवाद प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

17 मार्च से 21 मार्च तक आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा किया गया जिसमें गुरुग्राम के विभिन्न कार्यालयों के 21 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

इस प्रशिक्षण में केंद्रीय अनुवाद



अनुवाद प्रशिक्षण में शामिल अधिकारी।

ब्यूरो नई दिल्ली से नरेश कुमार-संयुक्त निदेशक, लेखा सरीन, जनवारियुस तिकी, डॉ. मोहनचंद्र बहुगुणा ने कार्मिकों को भारत सरकार राजभाषा नीति की जानकारी दी।

केंद्रीय
अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग,
गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रशिक्षण
का संचालन किया

कार्यालयी अनुवाद की समस्याएं एवं समाधान एवं अनुवाद प्रक्रिया आदि

विषयों पर व्याख्यान देकर प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण का समापन कार्यालय प्रमुख सुनील यादव-संयुक्त निदेशक (प्रभारी) की अध्यक्षता में हुआ। जिसमें केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली से संयुक्त निदेशक नरेश कुमार को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।

ब्यूरो की अधिकारी श्रीमती लेखा सरीन भी उपस्थित रहीं। नरेश कुमार ने अपने वक्तव्य में अनुवाद का कार्यालयी कामकाज में महत्व बताया। अनुवाद से सूचना, ज्ञान व विचारों का प्रसार होता है। कार्यालय प्रमुख सुनील यादव ने कहा कि ईएसआईसी कार्यालय के लिए यह अनुवाद प्रशिक्षण एक नवाचार रहा। यह कार्यालय के लिए एक उपलब्धि है जिसमें केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के अधिकारियों का विशेष व अविस्मरणीय योगदान रहा।

ईएसआईसी कार्यालय का अनुवाद पांच दिवसीय कार्यशाला संपन्न

गुरुग्राम | केंद्र सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों के कार्मिकों को अनुवाद कार्य में प्रशिक्षित करने के लिए ईएसआईसी उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम द्वारा आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला का शुक्रवार को समापन हो गया। प्रशिक्षण के प्रतिभागियों से फीडबैक प्राप्त की गई और प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। बीते 17 मार्च से 21 मार्च तक इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा किया गया, जिसमें गुरुग्राम के विभिन्न कार्यालयों के प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। इसमें केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली के नरेश कुमार-संयुक्त निदेशक, लेखा सरीन, जनवारियुस तिकी, डॉ. मोहनचंद्र बहुगुणा ने प्रतिभागियों को भारत सरकार राजभाषा नीति की जानकारी



गुरुग्राम। प्रतिभागी को प्रमाण-पत्र भेंट करते अधिकारी।

दी तथा सामान्य प्रशासन से जुड़े वाक्यांशों और अभिव्यक्तियों, सूचना प्रौद्योगिकी एवं अनुवाद, कार्यालयी अनुवाद की समस्याएं एवं समाधान एवं अनुवाद प्रक्रिया आदि विषयों पर व्याख्यान देकर प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण का समापन कार्यालय प्रमुख सुनील यादव-संयुक्त निदेशक (प्रभारी) की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली से संयुक्त निदेशक नरेश कुमार को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।

प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र सौंपे



ईएसआईसी उप क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित पांच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र में मौजूद गणमान्य • सौ. विभागा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम:
ईएसआईसी उप क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित पांच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण के प्रतिभागियों को भेंट प्रमाण पत्र किए गए। इस मौके पर कार्यालय प्रमुख सुनील यादव ने कहा कि ईएसआईसी कार्यालय के लिए यह अनुवाद प्रशिक्षण एक नवाचार रहा तथा यह कार्यालय के लिए एक उपलब्धि है जिसमें केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के अधिकारियों का विशेष और अविस्मरणीय योगदान रहा। उन्होंने कहा कि आज जबकि हमारी केंद्र सरकार हिंदी प्रयोग, प्रचार-प्रसार और प्रोत्साहन पर विशेष बल दे रही है। हिंदी को अपनाएं, हिंदी में कार्य करें, दूसरों को भी हिंदी में कार्य

करने के लिए प्रेरित करें। प्रवर श्रेणी लिपिक अमित कुमार ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम की ओर से भाग लेकर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। उन्हें कार्यालय प्रमुख सुनील यादव ने प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समापन सत्र में सहायक निदेशक डा. स्वीटी यादव ने केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के संकाय अधिकारियों एवं प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी पवन कुमार व संचालन कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी विरजू सिंह ने किया।